विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 237 दुर्ग, दिनांक 27/07/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 130
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री
नगर निगम भिलाई
बी.पी.क्रमांक — **1001989395**

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिविजन वेस्ट
2. सहायक यंत्री, कोहका जोन

अनावेदकगण

आदेश

आज दिनांक 27 / 07 / 2026 को पारित किया गया

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सड़क बत्ती हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी. पी. क्रमांक 1001989395, स्वीकृत भार 14.60 किलोवाट, के विद्युत बिल में अनियमितता होने के संबंध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य विवादित नहीं हैं —

1. आवेदक का उक्त विद्युत कनेक्शन सड़क बत्ती हेतु स्थापित है।
2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 14.60 किलोवाट है।
3. अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक का कथन

आवेदक की ओर से प्रस्तुत परिवाद में मुख्यतः यह शिकायत की गई है कि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के लिए विद्युत खपत का 1716 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर आकलन किया गया, जबकि उक्त अवधि में मीटर की वास्तविक रीडिंग उपलब्ध नहीं थी तथा उक्त औसत खपत निर्धारित करने का पर्याप्त आधार भी स्पष्ट नहीं किया गया।

आवेदक का यह भी कथन है कि उक्त कनेक्शन का उपयोग सड़क बत्ती के लिए किया जाता है तथा मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया है, जो उचित नहीं है। अतः उक्त अवधि के विद्युत बिल का पुनर्निर्धारण किए जाने तथा पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किए जाने की मांग की गई है।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा वर्ष 2023 से अप्रैल 2026 तक का बिलिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है। अनावेदकगण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कनेक्शन में स्थापित मीटर अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा तथा उक्त अवधि में औसत खपत 1716 यूनिट प्रतिमाह निर्धारित कर बिलिंग की गई।

यह भी अवगत कराया गया कि अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं –

1. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 के दौरान आवेदक को जारी किए गए विद्युत बिल सही एवं उचित थ`?

2. क्या मीटर डिफेक्टिव रहने की उक्त अवधि में आवेदक से पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली किया जाना उचित था ?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक एवं उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के कनेक्शन में स्थापित विद्युत मीटर अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 तक डिफेक्टिव रहा। उक्त अवधि में वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत खपत निर्धारित किया जाना संभव नहीं था तथा 1716 यूनिट प्रतिमाह के औसत के आधार पर बिलिंग की गई।

अगस्त 2025 में उक्त कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग आंकड़ों के अनुसार कनेक्शन की औसत मासिक खपत लगभग 1975 यूनिट प्रतिमाह पाई गई।

फोरम का मत है कि मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि में निर्धारित औसत खपत का पुनर्मूल्यांकन वास्तविक एवं विश्वसनीय खपत के आधार पर किया जाना आवश्यक है। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध खपत के आंकड़े इस प्रयोजन के लिए अधिक विश्वसनीय आधार प्रदान करते हैं।

अतः अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 की डिफेक्टिव मीटर अवधि के दौरान 1716 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर की गई बिलिंग को यथावत बनाए रखना उचित नहीं पाया जाता। उक्त अवधि के बिलों का पुनर्गणना/पुनरीक्षण करते हुए संशोधित बिल जारी किया जाना उचित है।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष आवेदक के पक्ष में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

उपलब्ध बिलिंग अभिलेखों एवं गणना पत्रक के अवलोकन से यह पाया गया कि मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 के दौरान कनेक्शन पर पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की गई है।

जब संबंधित अवधि में विद्युत मीटर डिफेक्टिव था और पावर फैक्टर के संबंध में आवश्यक वास्तविक एवं विश्वसनीय मीटर संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, तब उक्त अवधि के लिए पावर फैक्टर सरचार्ज की वसूली का आधार संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं होता है।

अतः मीटर डिफेक्टिव रहने की उक्त अवधि के दौरान लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं उचित होगा।

अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष भी आवेदक के पक्ष में दिया जाता है।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्षों के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक अपना परिवाद सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः प्रस्तुत परिवाद स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है रू–

1. आवेदक के विद्युत कनेक्शन बी.पी. क्रमांक 1001989395 में मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 तक जारी किए गए विद्युत बिलों की पुनर्गणना करते हुए, स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध वास्तविक खपत के आधार पर नियमानुसार संशोधित बिल तैयार कर जारी किया जाए।

2. उक्त कनेक्शन में मीटर डिफेक्टिव रहने की अवधि अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 के दौरान लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त किया जाए तथा यदि उक्त राशि का

भुगतान आवेदक द्वारा किया जा चुका हो तो नियमानुसार समायोजन/वापसी की कार्यवाही की जाए।

3. उपरोक्तानुसार संशोधित बिल तैयार करते समय लागू विद्युत दर, नियम एवं विनियमों का पालन किया जाए तथा संशोधित बिल की प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई जाए।

4. अनावेदकगण द्वारा इस आदेश का अनुपालन 30 दिन की अवधि में सुनिश्चित किया जाए।

5. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

6. आदेश पारित किया गया।

7. प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग